न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 27/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/129

प्रार्थीः– हीरालाल सोंलकी पुत्र मुनीलाल जाति मेवाड़ा (कलाल) निवासी जवाली तहसील रानी जिला पाली हाल निवासी 77 ए गजानन्द मार्ग पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. संजय पुत्र रतनलाल मेवाड़ा जाति मेवाड़ा (कलाल) निवासी जवाली तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पंचायत जवाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जवाली पंचायत समिति रानी तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह चौहान।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/12/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत जवाली द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.10.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संजय पुत्र रतनलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 20.10.2009 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अन्तिम बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस करने से मना किया जिस पर प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम जवाली की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1, श्रीमती सुखीया पत्नी मुनीलाल, श्रीमती सुन्दर पत्नी हापूलाल सोलंकी ने प्रभूसिंह पुत्र चिमनसिंह पुरोहित के द्वारा दिनांक 11.01.2001 को भुखण्ड क्रय किया था। उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत जवाली द्वारा प्रभुसिंह पुत्र चिमनसिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 69 दिनांक 31.03.1973 जारी हो रखा है, जिसका क्षेत्रफल 2100 वर्गफीट है और सभी खरीददार का उक्त भूखण्ड पर 1/3 हिस्सा आता है। उक्त भूखण्ड के 1/3 हिस्से की खरीददार श्रीमती सुखीया पत्नी मुनीलाल का देहान्त हो जाने के पश्चात् उसके वारिसान उक्त भूखण्ड के अधिकारी थे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त सम्पूर्ण भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2012 2 RLW(RJ) 1091, 1999 3

अति. जिला कलेक्टर पाली

RLW(Raj) 1478, 2006 1 DNJ 377, 2006 1 RDD 523, 2009 0 WLC 759 पेश कर जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत जवाली द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.10.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संजय पुत्र रतनलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 20.10.2009 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में पट्टा जारी हो रखा है, ग्राम पंचायत ने पट्टे सुदा भूमि पर पुनः जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी ने विक्रय विलेख दिनांक 11.01.2001 की प्रति पेश की। उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु विक्रय विलेख दिनांक 11.01.2001 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1, श्रीमती सुखीया पत्नी मुन्नीलाल सोलंकी, श्रीमती सुन्दर पत्नी हापूलाल सोलंकी द्वारा प्रभूसिंह से खरीद की थी, जो कि उप पंजीयक देसूरी में पंजीबद्ध है। उक्त विक्रय विलेख के पेज संख्या 2 में अंकितानुसार उक्त प्लॉट प्रभूलाल ने ग्राम पंचायत जवाली से निलामी में खरीद किया था, जिसका विक्रय विलेख जरिये मिसल संख्या 01/70–71, विक्रय विलेख संख्या 69 दिनांक 31.03.1973 जारी सुदा है। उक्त तथ्य को स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार कर विक्रय विलेख को पंजीबद्ध करवाया है अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 की यह स्वीकारोक्ति है कि खरीदसुदा प्लॉट का पूर्व में पट्टा जारी किया जा चुका है। यदि कोई तथ्य पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. उक्त विक्रय विलेख में उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा में अंकित पड़ौस जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौस के समान है, जिससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी ने खरीदसुदा भूखण्ड का पुनः जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। उपर्युक्त समस्त तथ्यों से प्रकरण में यह प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टा सुदा भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर न तो आवेदक के हस्ताक्षर है, न ही सरपंच के हस्ताक्षर है, इसके अतिरिक्त आवेदन–पत्र पर किसी प्रकार की दिनांक का उल्लेख भी नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आवेदन कब प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर नक्शा शुल्क के रूप में 60/– रूपये अंकित होना दर्शाया गया है, परन्तु उक्त राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। न ही ग्राम पंचायत के अभिलेखों में शुल्क जमा होने के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि पाई गई है। प्रश्नगत आज्ञा की मिसल का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि सम्पूर्ण अभिलेख में केवल अन्तिम आदेशिका पर ही दिनांक अंकित है, जबकि उससे पूर्व की समस्त आदेशिकाओं में किसी भी प्रकार की दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, यह कहीं भी अभिलेख पर स्पष्ट नहीं होता कि ग्राम पंचायत की बैठक वास्तव में किस दिनांक को आयोजित की गई, न ही यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में नक्शा तैयार करने, मौका निरीक्षण कराने, आपत्ति नोटिस जारी करने तथा गवाहों के बयान दर्ज कराने हेतु आदेश कब पारित किए गए। आदेशिकाओं पर दिनांक के अभाव के कारण सम्पूर्ण कार्यवाही का कालानुक्रमिकता सन्देहास्पद हो जाती है। उक्त तथ्य यह दर्शाते है कि प्रश्नगत मिसल में प्रक्रिया केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है तथा आवश्यक वैधानिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही का पूर्णतः अभाव है, जिससे प्रश्नगत आज्ञा एवं उसके आधार पर जारी किया गया पट्टा प्रथम दृष्टया मनमाना, अपारदर्शी एवं विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। मिसल की प्रथम आदेशिका के द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाने एवं पंचों द्वारा मौका निरक्षण के आदेश दिये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा उन्हे नामित नहीं किया गया। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का जो नक्शा तैयार किया गया है उस पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है न ही सायल के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त भूमि के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर केवल दो पंचों के ही हस्ताक्षर है जबकि नियमानुसार तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs

Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में कब्जा सत्यापन के उद्देश्य से जो कथित बयान मिसल में शामिल किए गए है, उनके सम्बन्ध में अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि उक्त बयान वास्तव में किन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए, इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। बयान फार्म पर न तो किसी बयानकर्त्ता का नाम अंकित है और न ही उनके हस्ताक्षर उपलब्ध है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा वास्तव में बयान दिये गये थे। उक्त बयान फार्म पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर अंकित है, जो बयान के सत्यापन हेतु पर्याप्त एवं विधिसम्मत साक्ष्य नहीं माने जा सकते। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कब्जा सत्यापन हेतु बयानों की कार्यवाही केवल कागजी औपचारिकता के रूप में दर्शाई गई है। फलस्वरूप, ऐसे बिना नाम के बयान के आधार पर की गई कार्यवाही विधि की दृष्टि में अविश्वसनी एवं अस्वीकार्य है। प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उसका अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उक्त आपत्ति नोटिस पर न तो उसके जारी किए जाने की दिनांक अंकित है और न ही इसे किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किए जाने के सम्बन्ध में किन्हीं दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर उपलब्ध है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आपत्ति इश्तिहार से सम्बन्धित अनिवार्य वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ण पालना नहीं की गई है, जिससे सम्पूर्ण कार्यवाही की वैद्यता सन्देह के घेरे में आ जाती

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। इसके अतिरिक्त अन्य न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जवाली द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.10.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संजय पुत्र रतनलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 20.10.2009 को अपास्त कियां जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर पाली